



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डब्ल्यू.बी.-अ.-14082026-275476
CG-WB-E-14082026-275476

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4328]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 14, 2026/श्रावण 23, 1948

No. 4328]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 14, 2026/SHRAVAN 23, 1948

रेल मंत्रालय

[पूर्व रेलवे (निर्माण विभाग)]

शुद्धिपत्र

कोलकाता, 14 अगस्त, 2026

का.आ. 4508(अ).— भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना क्रमांक 2786 दिनांक 16.07.2024 में संशोधन करते हुए झारखंड राज्य के देवघर जिला में विशेष रेल परियोजना “मधुपुर बायपास लाइन”, रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2008 की धारा 20ई की उप-धारा (1) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II - धारा 3 - उप-धारा (ii) संख्या 2650 दिनांक 16.07.2024 में प्रकाशित किया गया है। सही करने होगा—

भूमि का प्रकार में सुधार

क्र०	मौजा का नाम एवं नं	आंचल का नाम	प्लॉट नं	भूमि की प्रकृति	भूमि का प्रकार 20E अधिसूचना दिनांक 16.07.2024 में प्रकाशित	भूमि की प्रकार इस प्रकार पढ़ी जाए
1	सपहा-265	मधुपुर	99	निजी	धानी—III	धानी—II
2	सपहा-265	मधुपुर	128	निजी	धानी—III	धानी—II

[फा. सं. मु. प्र. अ./नि./ भू./309]

मनोज खाँ, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS

[Eastern Railway (Construction Department)]

CORRIGENDUM

Kolkata, the 14th August, 2026

S.O. 4508(E).—In modification of notification No.2786 dated 16.07.2024 of land acquisition for special Railway Project, namely, " **Madhupur Bye Pass Line**" in the District of Deoghar in the State of Jharkhand under sub- section (1) of section 20E of the Railways (Amendment) Act, 2008 published in Gazette of India, Extraordinary, part II – section 3 – Sub-section (ii) vide No.2650 dated 16.07.2024 ,the following to be corrected:

Corrections regarding Nature of Land

Sl. No.	Name of Mouza with Thana no.	Name of Circle Office	Plot No.	Type of Land	Nature of Land as Published in 20E Notification dated 16.07.2024	Nature of Land to be read as
1	Sapha-265	Madhupur	99	Private	Dhani-III	Dhani-II
2	Sapha-265	Madhupur	128	Private	Dhani-III	Dhani-II

[F. No. CAO/Con/L/309]

MANOJ KHAN, Chief Administrative Officer/Con.